

कमांक/एफ/लेखा/नीलामी/2015-16/

दिनांक:-

नीलामी-सूचना

इस कार्यालय के अनुपयोगी/अप्रचलित भंडार सामग्री जिसका पुस्तकीय मूल्य रूपये 1292048/(अक्षरे रूपये बारह लाख बानवे हजार अडतालीस मात्र) है की नीलामी जहाँ है जैसी स्थिति में है दिनांक 13.04.2016 को कार्यालय प्रांगण में दोपहर 12.30 बजे रखी गई है। सामग्री का अवलोकन इच्छुक खरीददार कार्यालय समय में आकर कर सकते हैं। नीलामी की बयाना राशि 26000/रूपये (अक्षरे रूपये छब्बीस हजार मात्र) बोली लगाने से पूर्व जमा कराना होगा।

नीलामी की शेष शर्तें कार्यालय समय में आकर देखी जा सकती है या विभागीय बेवसाइट www.krishi.rajasthan.gov.in व <http://sppp.raj.nic.in> से भी डाउनलोड की जा सकती है।

—sd—

उप निदेशक कृषि (गु.नि.)

कमांक/एफ/लेखा/नीलामी/2015-16/1492-1500

दिनांक:- 14.03.2016

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय जयपुर को सात प्रतियों में भेजकर निवेदन है उक्त सूचना न्यूनतम आकार में राजकीय दर पर एक राज्य स्तरीय, एक अखिल भारतीय समाचार पत्र तथा एनआईटी प्रकाशक ट्रेड जनरल में एक बार नियमानुसार प्रकाशित कराने का कष्ट करावे।
2. श्रीमान् आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव महोदय, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, कृषि (गु0नि0) कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर को विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशन हेतु।
6. नोटिस बोर्ड श्रीमान् संभागीय आयुक्त उदयपुर।
7. नोटिस बोर्ड श्रीमान् जिला कलेक्टर उदयपुर।
8. भंडारपाल कार्यालय हाजा।
9. नोटिस बोर्ड समस्त क्षेत्रीय एवं खण्डीय मुख्यालय-----



14/03/16

उप निदेशक कृषि (गु.नि.)
उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला,
उदयपुर (राज.)


राजस्थान-सरकार
कार्यालय उप निदेशक कृषि (गुण नियंत्रण) राज्य उर्वरक गुण नियंत्रण
प्रयोगशाला, उदयपुर

दूरभाष नं: 0294-2415410

इमेल आईडी: ddqc_udr@rediffmail.com

दिनांक 13.04.2016 को कार्यालय के अनुपयोगी सामान की नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. नीलामी में भाग लेने वाले सदस्यों को बतौर बयाना राशि 26000/ रूपये(अक्षरे रूपये छब्बीस हजार मात्र) बोली लगाने से पूर्व जमा करानी होगी।
2. अधिकतम बोली लगाने वाले सदस्य के नाम बोली छोड़ी जावेगी।
3. अधिकतम बोली लगाने वाले सदस्य की बयाना राशि अधिकतम राशि में समायोजित का ली जावेगी। द्वितीय अधिकतम बोलीदाता की बोली बयाना राशि प्रथम अधिकतम बोलीदाता के द्वारा राशि जमा करवा दिये जाने के उपरान्त ही लौटायी जावेगी। शेष सभी सदस्यों को बोली के पश्चात बयाना राशि लौटा दी जावेगी।
4. सफल बोली राशि का नियमानुसार वेट जमा कराना होगा वेट राशि बोली राशि से अतिरिक्त देय होगी।
5. दिनांक 18.04.16 सांय 5.00 बजे तक सामग्री कार्यालय से उठानी होगी इसके पश्चात 1000/ रू० प्रति दिवस के हिसाब से पेनल्टी वसूली की जावेगी दिनांक 20.04.16 तक सामग्री नहीं उठाने पर सामग्री उठाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
6. बोली राशि उसी दिन सांय 6 बजे तक जमा कराने पर ही सामान सुपुर्द किया जायेगा।
7. अधिकतम बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।
8. नीलाम किये जाने वाले सामान की स्थिति कार्यालय समय में आकर देखी जा सकती है।
9. अधिकतम बोली लगाने वाले सदस्य द्वारा राशि जमा नहीं कराई जाती है तो बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी।
10. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र उदयपुर न्यायालय रहेगा।


11/4/2016
उप निदेशक कृषि (गु.नि.)
उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला,
उदयपुर (राज.)